


बी-2

परिवार रोजगार कार्ड (जॉब कार्ड)



राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के अंतर्गत अधिसूचित
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), बिहार

जिला — वैधता अवधि : 2016-17 से 2020-21 तक



मनरेगा

रोजगार गारंटी कानून, जिसे मनरेगा भी कहते हैं, के तहत ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले सभी परिवार को साल में 100 दिन काम का हक बनता है।

परिवार का अर्थ है एकल परिवार- यानी माँ, पिता और उन पर आश्रित बच्चे।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के तहत अधिसूचित
“महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, बिहार”
 के अंतर्गत रोजगार की मांग करने वाले परिवारों को जारी किया जाने वाला परिवार रोजगार कार्ड (जॉब कार्ड)

जिला : पूर्वी चंपारण
 प्रखंड : पहाड़पुर



- परिवार क्रमांक :
- मुखिया का नाम :
- मोबाईल नंबर :
- जॉब कार्ड क्रमांक -

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 (राज्य कोड/जिला कोड/जनपद कोड/ग्राम पंचायत कोड/ग्राम कोड/पञ्जीयन क्रमांक)
- आधार कार्ड क्रमांक :
- बैंक/पोस्ट ऑफिस का नाम व खाता क्रमांक :
- SECC (सामा.आर्थिक एवं जातीय जनगणना का क्रमांक)

स.क्र.	कोड क्र.	विवरण	
1.	33	राज्य	- बिहार
2.	02	जिला पंचायत	-
3.		जनपद पंचायत	-
4.		ग्राम पंचायत	-
5.		ग्राम	-

- * नया परिवार होने की स्थिति में ग्राम के परिवार के अंतिम क्रमांक के आगे का नम्बर दिया जावे ।
- * पूर्व से सर्वेक्षित परिवार के विभाजन की स्थिति में परिवार का कम्प्यूटर कोड देते हुये A, B, C एवं D से नम्बर इंगित करें ।
- * परिवार रोजगार कार्ड (जॉब कार्ड) प्राप्तकर्ता के पास/अधीन रहेगा, किसी भी स्थिति में यह अहस्तांतरणीय है।

1. परिवार के मुखिया का नाम –
2. पिता/पति का नाम –
3. पता –
4. लिंग – स्त्री ☐ पुरुष ☐
5. जाति– अनु.जाति ☐ जनजाति ☐ अ.पि.वर्ग ☐ सामान्य ☐ अल्प संख्यक ☐
6. लाभान्वित परिवार – इंदिरा.आ.यो. ☐ भूमि सुधार ☐ FRA हितग्राही ☐
☐ अन्य योजना
7. पंजीयन के समय आयु –
8. पंजीयन की तिथि –
9. बी.पी.एल.नम्बर (यदि हो तो) –
10. विकलांग – हाँ ☐ नहीं ☐
11. कृषि भूमि :- कुल हेक्टेयर
12. महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत कार्यश्रेणी-4 के तहत व्यक्तिमूलक कार्यों का लाभार्थी यदि हो तो कार्य का प्रकार
13. परिवार का मुख्य व्यवसाय – कृषि ☐ मजदूरी ☐
परंपरागत कार्य (जैसे- बढ़ई, कुम्हार, लोहार)
14. परिवार के वयस्क सदस्यों की संख्या
15. बीमा योजना – राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना –
आम आदमी अथवा जनश्री बीमा योजना/अन्य.....
16. परिवार के मुखिया/आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान.....
17. यदि योजनांतर्गत मजदूरी भुगतान का माध्यम बैंक/पोस्ट ऑफिस हो तो
खाता क्रमांक–
बैंक/पो.ऑफिस का नाम

वि.वि.अधि./सहा.वि.वि.अधि.

सरपंच ग्राम पंचायत

परिवार के वयस्क (18 वर्ष से अधिक) सदस्यों का विवरण

क्र	नाम	पिता/पति का नाम	लिंग (म/पु.)	पंजीकरण के दिन उम्र	मुखिया से संबंध	डाक घर/ बैंक खाता संख्या (यदि हो तो)	डाक घर/ बैंक शाखा का नाम एवं कोड	बीमा पॉलिसी क्रमांक	वोटर आई डी नम्बर	यूनिक आईडेंटिटी नम्बर (आधार नं.)	मो.नं. (यदि हो तो)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

परिवार के वयस्क सदस्यों का फोटोग्राफ

सरपंच एवं पंचायत सचिव द्वारा प्रमाणित परिवार की संयुक्त तस्वीर
(व्यक्तिगत पासपोर्ट साइज फोटो होने की स्थिति में प्रत्येक फोटो को सरपंच एवं पंचायत सचिव
द्वारा प्रमाणित किया जावे)

आवेदकों के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

सरपंच के हस्ताक्षर एवं सील
ग्राम पंचायत

नोट:- परिवार के अंतिम सदस्य के विवरण के नीचे लाल लाईन खींच कर पंजीकरण अधिकारी /सरपंच के हस्ताक्षर एवं मुद्रा अंकित की जावे ।

**महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण
के तहत प्रदत्त रोजगार
वित्तीय वर्ष**

क्र.	माह	मजदूरी करने वाले सदस्य का नाम	रोजगार हेतु आवेदन की तिथि	कार्य का नाम	रोजगार की मांग की तिथि व दिवस		
					कब से	कब तक	कुल कार्य दिवस
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

नोट – 1. एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का रोजगार प्राप्त होने के उपरांत लाल लाईन खींचकर क्रियान्वयन एजेंसी सरपंच/विभाग/अन्य द्वारा हस्ताक्षर कर मुद्रा अंकित की जावेगी।

मजदूरी भुगतान का विवरण

2. साप्ताहिक मजदूरी भुगतान के आधार पर उपरोक्त रिक्त स्थानों को भरा जावें।

**महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण
के तहत प्रदत्त रोजगार
वित्तीय वर्ष**

क्र.	माह	मजदूरी करने वाले सदस्य का नाम	रोजगार हेतु आवेदन की तिथि	कार्य का नाम	रोजगार की मांग की तिथि व दिवस		
					कब से	कब तक	कुल कार्य दिवस
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

नोट – 1. एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का रोजगार प्राप्त होने के उपरांत लाल लाईन खींचकर क्रियान्वयन एजेंसी सरपंच/विभाग/अन्य द्वारा हस्ताक्षर कर मुद्रा अंकित की जावेगी।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा / MGNREGA)

मजदूरी भुगतान का विवरण

017—18

[illegible]

2. साप्ताहिक मजदूरी भुगतान के आधार पर उपरोक्त रिक्त स्थानों को भरा जाए।

**महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण
के तहत प्रदत्त रोजगार
वित्तीय वर्ष**

क्र.	माह	मजदूरी करने वाले सदस्य का नाम	रोजगार हेतु आवेदन की तिथि	कार्य का नाम	रोजगार की मांग की तिथि व दिवस		
					कब से	कब तक	कुल कार्य दिवस
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

नोट – 1. एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का रोजगार प्राप्त होने के उपरांत लाल लाईन खींचकर क्रियान्वयन एजेंसी सरपंच/विभाग/अन्य द्वारा हस्ताक्षर कर मुद्रा अंकित की जावेगी।

मजदूरी भुगतान का विवरण

[illegible]

9

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण
के तहत प्रदत्त रोजगार
वित्तीय वर्ष

क्र.	माह	मजदूरी करने वाले सदस्य का नाम	रोजगार हेतु आवेदन की तिथि	कार्य का नाम	रोजगार की मांग की तिथि व दिवस		
					कब से	कब तक	कुल कार्य दिवस
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा / MGNREGA)

मजदूरी भुगतान का विवरण

019—20

[illegible]

2. साप्ताहिक मजदूरी भुगतान के आधार पर उपरोक्त रिक्त स्थानों को भरा जाए।

**महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण
के तहत प्रदत्त रोजगार
वित्तीय वर्ष**

क्र.	माह	मजदूरी करने वाले सदस्य का नाम	रोजगार हेतु आवेदन की तिथि	कार्य का नाम	रोजगार की मांग की तिथि व दिवस		
					कब से	कब तक	कुल कार्य दिवस
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

नोट - 1. एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का रोजगार प्राप्त होने के उपरांत लाल लाईन खींचकर क्रियान्वयन एजेंसी सरपंच/विभाग/अन्य द्वारा हस्ताक्षर कर मुद्रा अंकित की जावेगी।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा / MGNREGA)

मजदूरी भुगतान का विवरण

020—21

[illegible]

2. साप्ताहिक मजदूरी भुगतान के आधार पर उपरोक्त रिक्त स्थानों को भरा जाए।

**महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण
के तहत प्रदत्त रोजगार
वित्तीय वर्ष**

क्र.	माह	मजदूरी करने वाले सदस्य का नाम	रोजगार हेतु आवेदन की तिथि	कार्य का नाम	रोजगार की मांग की तिथि व दिवस		
					कब से	कब तक	कुल कार्य दिवस
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

नोट – 1. एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का रोजगार प्राप्त होने के उपरांत लाल लाईन खींचकर क्रियान्वयन एजेंसी सरपंच/विभाग/अन्य द्वारा हस्ताक्षर कर मुद्रा अंकित की जावेगी।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा / MGNREGA)

मजदूरी भुगतान का विवरण

[illegible]

2. साप्ताहिक मजदूरी भुगतान के आधार पर उपरोक्त रिक्त स्थानों को भरा जाए।

बेरोजगारी भत्ता का विवरण

[illegible]

बेरोजगारी भत्ता का विवरण

[illegible]

बेरोजगारी भत्ता का विवरण

[illegible]

बेरोजगारी भत्ता का विवरण

[illegible]

गणना पत्रक

महात्मा गांधी नरेंगा अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में किए गए कुल कार्य दिवस
(रोजगार सहायक/सचिव द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस की उपस्थिति का दिनांक सहित हस्ताक्षर किया गया था।)

1	11	21	31	41	51	61	71	81	91
2	12	22	32	42	52	62	72	82	92
3	13	23	33	43	53	63	73	83	93
4	14	24	34	44	54	64	74	84	94
5	15	25	35	45	55	65	75	85	95
6	16	26	36	46	56	66	76	86	96
7	17	27	37	47	57	67	77	87	97
8	18	28	38	48	58	68	78	88	98
9	19	29	39	49	59	69	79	89	99
10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

६३

1. एक वित्तीय वर्ष में प्रति परिवार को 100 दिवस के रोजगार की गारंटी होगी।
2. श्रमिका जॉब कार्ड को प्रतिदिन कार्यालय पर अनिवार्य रूप से लेकर आए एवं कार्य की एन्ट्री गणना पत्रक में अवश्य करावे।

गणना पत्रक

महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत **वित्तीय वर्ष 2017-18** में किए गए कुल कार्य दिवस
(रोजगार सहायक / सविन द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस की उपस्थिति का दिनांक सहित हस्ताक्षर किया जाए।

1	11	21	31	41	51	61	71	81	91
2	12	22	32	42	52	62	72	82	92
3	13	23	33	43	53	63	73	83	93
4	14	24	34	44	54	64	74	84	94
5	15	25	35	45	55	65	75	85	95
6	16	26	36	46	56	66	76	86	96
7	17	27	37	47	57	67	77	87	97
8	18	28	38	48	58	68	78	88	98
9	19	29	39	49	59	69	79	89	99
10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

1. एक वित्तीय वर्ष में प्रति परिवार को 100 दिवस के रोजगार की पात्रता होगी।
2. श्रमिक जॉब कार्ड को प्रतिदिन कार्यस्थल पर अनिवार्य रूप से लेकर आए एवं कार्य की एंट्री गणना पत्रक में अवश्य करावें।

गणना पत्रक

महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत **वित्तीय वर्ष 2018-19** में किए गए कुल कार्य दिवस
(रोजगार सहायक/सविव द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस की उपस्थिति का दिनांक सहित हस्ताक्षर किया जावे)

1	11	21	31	41	51	61	71	81	91
2	12	22	32	42	52	62	72	82	92
3	13	23	33	43	53	63	73	83	93
4	14	24	34	44	54	64	74	84	94
5	15	25	35	45	55	65	75	85	95
6	16	26	36	46	56	66	76	86	96
7	17	27	37	47	57	67	77	87	97
8	18	28	38	48	58	68	78	88	98
9	19	29	39	49	59	69	79	89	99
10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

1. एक वित्तीय वर्ष में प्रति परिवार को 100 दिवस के रोजगार की पात्रता होगी।
2. श्रमिक जॉब कार्ड को प्रतिदिन कार्यस्थल पर अनिवार्य रूप से लेकर आए एवं कार्य की एण्ट्री गणना पत्रक में अवश्य करावें।

गणना पत्रक

महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत **वित्तीय वर्ष 2019-20** में किए गए कुल कार्य दिवस
(रोजगार सहायक/सविव द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस की उपस्थिति का दिनांक सहित हस्ताक्षर किया जाए।

1	11	21	31	41	51	61	71	81	91
2	12	22	32	42	52	62	72	82	92
3	13	23	33	43	53	63	73	83	93
4	14	24	34	44	54	64	74	84	94
5	15	25	35	45	55	65	75	85	95
6	16	26	36	46	56	66	76	86	96
7	17	27	37	47	57	67	77	87	97
8	18	28	38	48	58	68	78	88	98
9	19	29	39	49	59	69	79	89	99
10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

1. एक वित्तीय वर्ष में प्रति परिवार को 100 दिवस के रोजगार की पात्रता होगी।
2. श्रमिक जॉब कार्ड को प्रतिदिन कार्यस्थल पर अनिवार्य रूप से लेकर आए एवं कार्य की एंट्री गणना पत्रक में अवश्य करावें।

गणना पत्रक

महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत **वित्तीय वर्ष 2020-21** में किए गए कुल कार्य दिवस
(रोजगार सहायक/सविन द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस की उपस्थिति का दिनांक सहित हस्ताक्षर किया जावे)

1	11	21	31	41	51	61	71	81	91
2	12	22	32	42	52	62	72	82	92
3	13	23	33	43	53	63	73	83	93
4	14	24	34	44	54	64	74	84	94
5	15	25	35	45	55	65	75	85	95
6	16	26	36	46	56	66	76	86	96
7	17	27	37	47	57	67	77	87	97
8	18	28	38	48	58	68	78	88	98
9	19	29	39	49	59	69	79	89	99
10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

1. एक वित्तीय वर्ष में प्रति परिवार को 100 दिवस के रोजगार की पात्रता होगी।
2. श्रमिक जॉब कार्ड को प्रतिदिन कार्यस्थल पर अनिवार्य रूप से लेकर आए एवं कार्य की एण्ट्री गणना पत्रक में अवश्य करावे।

अनुरेणा

लेफ्टान्ट गारंटी कागज, जिसे अनुरेणा भी कहते हैं, के तहत छात्रीय क्षेत्र में रहने वाले सभी परिवार को साल में 100 दिन कागज का हक्क बनता है।

परिवार का अर्थ है एकल परिवार- बारी माँ, पिता और उन पर आश्रित बच्चे।

पंजीकरण

परिवार के सभी वयस्क ब्राम पंचायत कार्यालय में अपना पंजीकरण (रजिस्ट्रीकरण) करवा सकते हैं।

पंजीकरण के 15 दिन के अंदर जॉब कार्ड सुपत में मिलेगा।

जॉब कार्ड

जॉब कार्ड आपकी काग करने का हक्क देता है। लेकिन काग पाने के लिए काग मौलता होगा।

- काग का आवेदन विस्तार या जोड़िका करे और वलकी रवीव है।
- इसे अपने जॉब कार्ड में भी दर्ज कराएं।
- एक बार में 1 दिन से काग का काग न आवे।

बेरोजगारी भत्ता

काग माँगने के 15 दिन के अंदर काग नहीं मिलने पर आप बेरोजगारी भत्ता के हक्का है।

- पहले 30 दिन न्यूनतम मजदूरी का एक-बीसवाई।
- 30 दिन के बाद न्यूनतम मजदूरी का आधा।

मजदूरी

वारी मजदूर वरकादी गृहवतम मजदूरी 177रु. के हक्का है।

मलिका और पुरुष को एक समान मजदूरी मिलेगी।

समय पर भुगतान

- मजदूरी का भुगतान एकाका के काग 15 दिनों में किया जाका चाहिए।

- ऐसा न होने पर एकाका वरकादी को भुगतान देना होगा।

ब्राम लता की जिम्मेवारी

अनुरेणा के तहत लिए जाने वाले काग (कैले रोड, लागाव, चैत, टैम आदि) ब्राम लता में ही तब होंगे।

- उन कागों की वेवरेका ब्राम लता की जिम्मेवारी है।
- ब्राम लता लताविक इंकेका ही करेगी वरकादी अनुरेणा के वरकाविक की जॉब करेले का जोका मिलेगा।

मजदूरी भुगतान

- मजदूरी का भुगतान बैंक या पोस्ट ऑफिस से ही होगा।
- काग देने की बात है की हर मजदूर का अपना लता हो - मलिका ही वा पुरुष।
- अरकाका वरकाका मजदूरी वरकाका के लिए बैंक खुव जाएं और पारवुका अरकाका।
- अपने पैसों पर किराी की लता न पढ़ने दें।

दुर्घटना हो तो....

कार्यस्थल पर घोट कलने पर एकाका मुक्त रोजा की वरकाका कराएगी और इत वीरल काग न कर जाने की वरिति में मजदूर को आरी मजदूरी प्राय होगी।

कार्यस्थल पर दुर्घटना के काग हाव की वरिति में हात के परिवार को हाकावने का भुगतान किया जाएगा।

लेफ्टान्ट गारंटी काग के तहत अपना हाव काग

- काग में हा वीरल को 100 दिन का काग।
- काग होने के 15 दिन के और काग।
- लताकी वरकाका मजदूरी का भुगतान।
- मलिका और पुरुष को काग मजदूरी।
- मलिका के काग में ही मजदूरी का हाव।
- मलिका व वारी, हाव, काग की काग और और।
- काग न मिलने पर एकाका की वेवरेका प्राय।

हाव का काग हो, काग का पूरा काग हो।

मदरा पढ़ने को काग, दूर पुरिका को न को। इसे पुरिका रकी और दुरी को ही पढ़ने के लिए है।

शिकायत

दूर वीरल की जॉब के लिए काग लता वरकादी वरिति वरकादी।

ब्राम लता लता में काग ले काग हो काग दूर वीरल काग का लताविक इंकेका करेगी।

विरकाका होने पर 7 दिनों में काग पाने का इंकेका है।

पंचायत वीरल वा वरकाका वरितिवादी ले वरिकाका करें।

मास्टर रोल एवं वरकाविक


हावरी लताका मास्टर रोल में कार्यस्थल पर ही हो जाएगा।

अनुरेणा ले वरकाविक लता वरकाविक काग की किराी की लता वरकाका है।

कार्यस्थल पर बुविथाएँ

कार्यस्थल पर मजदूरों की बुविथा को लिए राका, वरकाई और पीने का वारी इंकिवार्व है। 6 वर्ग ले काग पूरा के 5 बच्चे हैं, तो उनकी वेवरेका को लिए एकाका मलिका को जिम्मेवारी हो जाएगा।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना



.... एक अधिकार आजीविका का

योजनांतर्गत निजी भूमि में लिए जाने वाले कार्य

मिलने वाले लाभ

- भूमि सुधार (मेड़ बंधान एवं समतलीकरण),
- निजी शौचालय, डबरी निर्माण, कुआँ निर्माण,
- बकरी / मुर्गी / सुअर एवं पशु आश्रय हेतु शेड निर्माण,
- मवेशियों हेतु पक्का फर्श, यूरिन टैंक एवं आहार हेतु टांका निर्माण,
- नाडेप कम्पोस्ट टैंक, वर्मी कम्पोस्ट टैंक, अजोला टैंक
- सिंचाई एवं मत्स्य पालन हेतु तालाब निर्माण
- उद्यानिकी, रेशम पालन, पौधा रोपण एवं कृषि वानिकी कार्य
- इंदिरा आवास निर्माण में 86 दिवस का अतिरिक्त रोजगार

परिवारों का प्राथमिकता क्रम

- अनुसूचित जाति,
- अनुसूचित जनजाति,
- घुमन्तू जनजाति,
- अधिसूचना में से निकाली गई जनजातियां,
- गरीबी रेखा से नीचे के परिवार,
- महिला / दिव्यांग (विकलांग) मुखिया वाले परिवार,
- भूमि सुधार के हितग्राही,
- इंदिरा आवास योजना (प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)) के लाभार्थी,
- अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वनाधिकार मान्यता) अधिनियम 2006 के लाभार्थी,
- लघु एवं सीमांत कृषक,
- दस एकड़ तक के भूमि स्वामी (केवल मनरेगा के तहत जल ग्रहण क्षेत्र के अन्तर्गत)